

# न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक मुलकी - देवी ..... प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम ..... द्वितीय पक्ष

नाजिबुर नायज

देखे अधिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ..... से ..... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ..... 198... सन् 2021

घात विषय दण्डप्रसंग

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
3/10/21	<p>अधिलेख उपर-पारित। पक्ष</p> <p>थाना जमारी के अप्रापिकी सं० -</p> <p>03/2021 दिनांक - 10.10.2021 के</p> <p>द्वारा संपर्क किया गया जो कि</p> <p>प्रतिवदन के अवसरों के बाद</p> <p>संतुष्ट है कि मुक्ति विवाद को</p> <p>लकर उभय पक्षों में शांति</p> <p>पंजा हीन की आशा है एवं</p> <p>उभय पक्ष लडराव के लिए</p> <p>तत्पर है, जिसके कारण उभय</p> <p>पक्षों में शांति पंजा, खुन, खराबा</p> <p>तथा उत्पन्न हो सकता है, जो</p> <p>पक्ष अधिकार क्षेत्र में आता</p> <p>है। इस बात को पक्ष संतुष्ट</p> <p>है कि इस मामले में लडराव</p> <p>को दूर करने तथा इसकी</p> <p>में शांति बनाये रखने के</p> <p>लिए विशेष ध्यान देना।</p>	

1

2

3

आवश्यक है

इन तथ्यों के आलापक  
 में उभय पक्षों के विरुद्ध  
 धारा 144 को संश्लेषित  
 कार्यवाही प्रारंभ किया जाता  
 है तथा उभय पक्षों को 60  
 दिनों के लिए विवादाग्रस्त भूमि  
 पर या उसके समीप जाने  
 अथवा किसी भी तरह का कार्य  
 करने के लिए प्रतिबंधित

किया जाता है तथा रोकड़ा  
 है- रकम ही- उभय पक्षों से  
 दिनांक 18/11/21 को कारण-पूर्वक  
 की मांग की जाती है- किन्तु  
 नहीं रकम या दोनों पक्षों  
 विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को

सम्पुष्ट किया जाय।  
 विवादाग्रस्त भूमि का विवरण

निम्न है -  
 (1) रकता संत - 24 प्लॉट संत -  
 1042 रकबा - 66 बीघे 16.5 बीघे  
 के खाने से संबंधित

अनु. 60/2021

31.05/21

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

1	2	3
---	---	---

18/11/21

अभिलेख - उपर्युक्त। उपर्युक्त  
पत्र - उपर्युक्त। श/ए कारिका में।  
To 2/12/21

~~\_\_\_\_\_~~  
18/11

02/19/21

प्रथम पत्र - उपर्युक्त। कारिका में।  
द्वितीय पत्र - उपर्युक्त।  
अभिलेख - 16/11/21 को रखें।

अनुसू 403A

16/11/21

प्रथम पत्र - उपर्युक्त। द्वितीय पत्र -  
उपर्युक्त। कारिका में।  
उपर्युक्त। प्रथम पत्र के द्वारा  
188 / PC के तहत कार्रवाई  
द्वारा किया गया है। परंतु  
द्वितीय पत्र द्वारा स्वयं (बीमा)  
किया गया है कि कोई कार्य  
नहीं किया गया है। अतः कार्रवाई  
को अस्वीकृत किया जाता है।  
द्वितीय पत्र श/ए कारिका में।  
To 23/11/21

~~\_\_\_\_\_~~  
18/11

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23/12/21	<p>उपरोक्त नए पदाधिकारी की नियुक्ति।      कौशल पर उपरोक्त। डिप्टी      पदाधिकारी द्वारा स/प रारिवल।      उभय पदाधिकारी को      तथा रारिवल रारिवल का      अवलोकन किया। पुनः      बाद जाना प्रमाणी बिंदु      के आवेदन पर प्रारम्भ      किया गया था, पर-      जाना प्रमाणी द्वारा निष्पत्ती      की प्रतीति को प्रोद्देश्य      द्वारा सीमांकित नहीं किया      गया है। अतः यह बाद      के आवेदन को पूर्ण      नहीं करना है।      अतः बाद की कार्यवाही      को समाप्त किया जाना है      तथा नोटिस को निरस्त      किया जाना है।</p>	<p style="text-align: right;">23/12/21</p>